

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31st December 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम : Mr. Pankaj Kumar Kanodiya
 2. वर्तमान धारित पद : INSPECTOR WEIGHT AND MEASURE
 3. वर्तमान वेतन : 54787
 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/01/2025

उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किस नाम पर धारित है और शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्ज न की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
MP, BHOPAL, BAG MUGALIYA, HUZUR, शहरी संपत्ति, CITY, B-104, BAGH MUGALIA BHOPAL MP, 462043	भूमि, NIL	1800 SQ FEET	13,00,000	SMT. REKHA KANODIA W/O JAGDISH PRASAD KANODIA (MOTHER)	खरीद 16/06/2003 NIL	NIL	NIL
MP, BHOPAL, KOTRA SULTANABAD, HUZUR, शहरी संपत्ति, CITY, MIG-143 KOTRA SULTANABAD BHOPAL MP, 462003	गृह, DOMESTIC RESIDENSIAL PROPERTY	1800 SQ FEET TENTIVELY	40,00,000	1)SMT. REKHA KANODIA-50%SHARE(MOTHER)2)PANKAJ KUMAR KANODIA -25% SHARE(SELF) 3)MANISH KUMAR KANODIA-25%SHARE(BROTHER)	खरीद 04/11/2005 NIL	NIL	NIL
MP, INDORE, KALOD KARTAL, BICHOLI HAPSI, ग्रामीण संपत्ति, VILLAGE, KHASARA - RAKBA (786/1/2/2/3/1-0.231 HACKTYRE GRAM-KALOD KARTAL, INDORE(MP), 452020	GREEN BELT AGRICULTURE LAND COVERED WITH SEMI-BOUNDARY	{786/1-0.012; 786/2/2-0.029; 786/2/1-0.028; 786/3/1-0.162}=TOTAL-0.231 HACKTYRE	20,00,000 TENTIVELY	SMT. VANDANA KANODIA (WIFE)	05/04/2010 SMT. VIJYA LUNAWAT	NIL	NIL
MP, INDORE, SURV SUVIDHA NAGER, BICHOLI HAPSI ROAD, शहरी संपत्ति, CITY, 301, SIMRAN REGENCY 108-NAKODA REALITY, SURV SUVIDHA NAGAR INDORE MP,	RESIDENCIAL FLAT	1710 SQUARE FEET BUILDUP AREA	40,00,000 TENTIVELY	1)PANKAJ KUMAR KANODIA-(60%SHARE)-SELF 2) SMT. VANDANA KANODIA(40% SHARE)-WIFE	15/11/2012 M/S NAKODA REALITY BULDER'S	NIL	NIL

452016								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

तारीख : 01/02/2025

हस्ताक्षर तथा नाम :

पद:

विभाग:

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1059 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।